मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

एमसीआईआर

खंड XXI अंक 9 दिसंबर 2025

विषय-वस्तु

खंड	पृष्ठ
I. मौद्रिक नीति	1-2
II. केंद्रीय बोर्ड की 620वीं बैठक	2
III. विनियमन	2-3
IV. गवर्नर की बैठक	3
V. वित्तीय समावेशन	3
VI. प्रकाशन	3-4
VII. जारी आंकड़े और सर्वेक्षण	4

संपादक की कलम से

दिसंबर 2025 ने भारत के आर्थिक और वित्तीय परिदृश्य के लिए एक निर्णायक क्षण को चिह्नित किया, जैसा कि गवर्नर के मौद्रिक नीति वक्तव्य, केंद्रीय बोर्ड की 620वीं बैठक और बैंक नेतृत्व के साथ निरंतर जुड़ाव में प्रतिबिंबित हुआ। संवृद्धि में मजबूत और असामान्य रूप से कम मुद्रास्फीति के एक दुर्लभ "गोल्डिलॉक्स" चरण ने मौद्रिक नीति समिति को एकमत रूप से नीति रेपो दर में 25 आधार अंक की कटौती करके 5.25 प्रतिशत तक लाने, तटस्थ रुख बनाए रखने और ओएमओ खरीद और यूएसडी/आईएनआर स्वैप के माध्यम से स्थायी चलनिधि बढ़ाने के लिए सक्षम बनाया। केंद्रीय बोर्ड ने वैश्विक और घरेलू चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया और बैंकों के लिए जोखिम-आधारित जमा बीमा ढांचे सहित प्रमुख सुधारों को मंजूरी दी।

हम सही जानकारी साझा करने और गहरी समझ बढ़ाने के अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर या क्यूआर कोड स्कैन करके भी देखा जा सकता है। हम mcir@rbi.org.in पर आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं।

ब्रिज राज
संपादक

I. मौद्रिक नीति

5 दिसंबर 2025 को गवर्नर का मौद्रिक नीति वक्तव्य

गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने 5 दिसंबर 2025 को मौद्रिक नीति वक्तव्य की घोषणा की। उन्होंने टिप्पणी की कि जैसे 2025 का वर्ष समाप्त हो रहा है, अर्थव्यवस्था, स्थिर और मजबूत संवृद्धि और अनुकूल मुद्रास्फीति प्रवृत्ति पर संतोष व्यक्त करते हुए वैश्विक चुनौतियों के बीच महत्वपूर्ण विकास वाले वर्ष को प्रतिबिंबित कर रही है। बैंकिंग प्रणाली ने आगे मजबूती प्राप्त की, जबकि विनियामक ढांचे को वित्तीय प्रणाली को मजबूत बनाने, व्यवसाय करने में आसानी बढ़ाने और उपभोक्ता सुरक्षा में सुधार करने के लिए सुधारा गया।

गवर्नर मल्होत्रा ने बताया कि अक्टूबर नीति के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से अवस्फीति कम होने का अनुभव कर रही है, जिसमें मुद्रास्फीति अभूतपूर्व रूप से निम्न स्तर पर आ गई है। लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफ़आईटी) अपनाने के बाद पहली बार, 2025-26 की दूसरी तिमाही के लिए औसत हेडलाइन मुद्रास्फीति 1.7 प्रतिशत के स्तर पर आई, जो मुद्रास्फीति लक्ष्य (4 प्रतिशत) की निचली सहनशीलता सीमा (2 प्रतिशत) को पार कर गई। यह अक्टूबर 2025 में मात्र 0.3 प्रतिशत तक घट गई। दूसरी ओर, वास्तविक जीडीपी संवृद्धि दूसरी तिमाही में 8.2 प्रतिशत तक बढ़ गई, जिसे त्योहारों के मौसम के दौरान मजबूत खर्च और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों को तर्कसंगत बनाने से और बढ़ावा मिला। 2025-26 की पहली छमाही में मुद्रास्फीति 2.2 प्रतिशत और संवृद्धि 8.0 प्रतिशत के साथ एक दुर्लभ गोल्डिलॉक्स अवधि प्रस्तुत हो रही है।

उन्होंने बताया कि मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 3, 4 और 5 दिसंबर को नीतिगत रेपो दर पर विचार-विमर्श और निर्णय लेने के लिए बैठक की। उभरती व्यष्टि आर्थिक स्थितियों और संभावना का विस्तृत मूल्यांकन करने के बाद, एमपीसी ने एकमत रूप से नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंक (बीपीएस) की कटौती करके इसे 5.25 प्रतिशत करने का निर्णय लिया, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इसके परिणामस्वरूप, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 5.00 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 5.50 प्रतिशत हो जाएगी। एमपीसी ने तटस्थ रुख जारी रखने का भी निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त, उभरती चलनिधि स्थितियों और संभावना को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस महीने सरकारी प्रतिभूतियों की ₹1,00,000 करोड़ की ओएमओ खरीद और 3 वर्ष की अवधि के लिए 5 अरब अमेरिकी डॉलर का यूएसडी/आईएनआर खरीद बिक्री स्वैप करके प्रणाली में स्थायी चलनिधि डालने का निर्णय लिया है।

गवर्नर मल्होत्रा ने उल्लेख किया कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) ने 2025-26 की दूसरी तिमाही में छह तिमाहियों के उच्चतम स्तर पर 8.2 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की, जो वैश्विक व्यापार और नीतिगत अनिश्चितताओं के बीच आघात-सह घरेलू मांग पर आधारित थी। आपूर्ति की ओर से, वास्तविक सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) 8.1 प्रतिशत बढ़ा, जिसमें उद्योग और सेवा क्षेत्रों की तेजी ने योगदान दिया। उच्च-आवृत्ति संकेतकों से पता चलता है कि तीसरी तिमाही में घरेलू आर्थिक गतिविधि बनी हुई है। अक्टूबर-नवंबर के दौरान जीएसटी सुधार और त्योहार-संबंधी व्यय ने घरेलू मांग को बढ़ावा दिया। ग्रामीण मांग लगातार मजबूत बनी हुई है, जबकि शहरी मांग धीरे-धीरे बहाल हो रही है।

उन्होंने पाया कि अक्टूबर 2025 में सीपीआई मुद्रास्फीति एक सर्वकालिक निम्न स्तर तक घट गई। मुद्रास्फीति में अपेक्षा से तेज गिरावट, खाद्य मूल्यों में सुधार के कारण हुई। सितंबर-अक्टूबर में स्वर्ण धातु द्वारा निरंतर मूल्य दबाव के बावजूद मूल मुद्रास्फीति अधिकांशतः नियंत्रित रही। स्वर्ण को छोड़कर, अक्टूबर में मूल मुद्रास्फीति 2.6 प्रतिशत तक कम हो गई। 2025-26 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति अब 2.0 प्रतिशत के अनुमानित है, जिसमें तीसरी तिमाही में 0.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 2.9 प्रतिशत अनुमानित है। भारत का चालू खाता घाटा 2025-26 की दूसरी तिमाही में व्यापक सेवा निर्यात और मजबूत विप्रेषण के कारण जीडीपी के 1.3 प्रतिशत पर कम हो गया।

गवर्नर मल्होत्रा ने बताया कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में पूंजी पर्याप्तता, चलनिधि, आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता से संबंधित प्रणाली-स्तरीय वित्तीय मापदंड अभी भी मजबूत बने हुए हैं। हाल के महीनों में बैंक ऋण संवृद्धि में उछाल आया है, जो खुदरा और सेवा क्षेत्र खंडों को लगातार उधार देने से समर्थित है।

गवर्नर ने यह भी घोषणा की कि रिज़र्व बैंक अगले वर्ष 1 जनवरी से दो महीने के अभियान का आयोजन करने का प्रस्ताव रखता है, जिसका उद्देश्य आरबीआई ओम्बुड्समैन के पास एक महीने से अधिक समय से लंबित सभी शिकायतों का समाधान करना है। अंत में, गवर्नर ने कहा कि प्रतिकूल बाहरी वातावरण के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय आघात- सहनीयता दर्शाई है और उच्च संवृद्धि दर्ज करने के लिए तैयार है। मुद्रास्फीति संभावना द्वारा दी गई गुंजाइश ने हमें संवृद्धि समर्थक बने रहने की अनुमति दी है। हम आगे भी व्यष्टिआर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करते हुए अर्थव्यवस्था की उत्पादक आवश्यकताओं को सक्रिय रूप से पूरा करते रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

II. भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की 620वीं बैठक

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की 620वीं बैठक 19 दिसंबर 2025 को हैदराबाद में श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बोर्ड ने वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य तथा उससे जुड़ी चुनौतियों का मूल्यांकन किया। बोर्ड ने बैंकों के लिए जोखिम-आधारित जमा बीमा ढांचे को मंजूरी दी। बोर्ड ने चुनिंदा केंद्रीय कार्यालय विभागों की गतिविधियों और भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट, 2024-25 के मसौदे की भी समीक्षा की।

उप गवर्नर श्री टी. रबी शंकर, श्री स्वामीनाथन जे., डॉ. पूनम गुप्ता, श्री शिरीष चंद्र मुर्मू और केंद्रीय बोर्ड के अन्य निदेशक - श्री नागराजू मद्दिराला, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग; श्री सतीश के. मराठे, श्रीमती रेवती अय्यर, श्री पंकज रमणभाई पटेल और डॉ. रवीन्द्र एच. धोलकिया - बैठक में शामिल हुए।

एमपीसी का कार्यवृत्त

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की अट्ठावनवीं बैठक 3 से 5 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित की गई थी।

तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडएल के अंतर्गत , रिज़र्व बैंक ने बैठक की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त 19 दिसंबर 2025 को प्रकाशित किया अर्थात एमपीसी की बैठक के चौदहवें दिन को।

एमपीसी ने कर्मचारियों के व्यष्टिआर्थिक परियोजनाओं और संभावना के विभिन्न जोखिमों के इर्द-गिर्द वैकल्पिक परिदृश्यों की विस्तृत समीक्षा की। एमपीसी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपभोक्ता विश्वास, परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा, कॉर्पोरेट क्षेत्र के कार्यनिष्पादन, ऋण की स्थिति, औद्योगिक, सेवाओं और अवसंरचना क्षेत्रों की संभावनाएं और पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं के अनुमानों का आकलन करने के लिए किए गए सर्वेक्षणों की समीक्षा की। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

III. विनियमन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2025 की प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) की सूची जारी की

रिज़र्व बैंक ने 2 दिसंबर 2025 को घोषणा की कि 31 मार्च 2025 के डेटा के आधार पर भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को 2024 की सूची के समान ही बकेटिंग संरचना के अंतर्गत प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) के रूप में पहचानना जारी रखा गया है और इनके लिए अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) की आवश्यकता, पूंजी संरक्षण बफर के अतिरिक्त होगी। तदनुसार, भारतीय स्टेट बैंक जोखिम भारित परिसंपत्तियों (आरडब्ल्यूए) के 0.80 प्रतिशत के अतिरिक्त सीईटी1 की आवश्यकता के साथ बकेट 4 में बना रहेगा, एचडीएफसी बैंक 0.40 प्रतिशत के साथ बकेट 2 में बना रहेगा और आईसीआईसीआई बैंक 0.20 प्रतिशत के साथ बकेट 1 में बना रहेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 जुलाई 2014 को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) संबंधी कार्य के लिए ढांचा जारी किया था, जिसे बाद में 28 दिसंबर 2023 को अद्यतित किया गया था। डी-एसआईबी ढांचे के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को 2015 से शुरू होने वाले डी-एसआईबी के रूप में नामित बैंकों के नामों को प्रकट करना होता है और इन बैंकों को उनके प्रणालीगत रूप से महत्व के स्कोर (एसआईएस) के आधार पर उपयुक्त बकेट में रखना होता है। जिस बकेट में डी-एसआईबी को रखा गया है, उसके आधार पर उस पर एक अतिरिक्त सीईटी1 आवश्यकता लागू की जाती है। यदि कोई विदेशी बैंक, जिसकी शाखा भारत में मौजूद है और वह एक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण विदेशी बैंक (जी-एसआईबी) है, तो उसे भारत में उसकी जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) के अनुपात में जी-एसआईबी के रूप में लागू, अतिरिक्त सीईटी1 पूंजी अधिभार को बनाए रखना होता है, अर्थात् गृह विनियामक द्वारा निर्धारित अतिरिक्त सीईटी1 बफर (राशि) को, समेकित वैश्विक समूह बुक्स के अनुसार भारत आरडब्ल्यूए द्वारा गुणा करके कुल समेकित वैश्विक समूह आरडब्ल्यूए से विभाजित करना। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण निदेश, 2025 को संशोधित करने के लिए संशोधन निदेश जारी किए

रिज़र्व बैंक ने बैंकों पर लागू सामान्य बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खातों संबंधी वर्तमान निर्देशों को संशोधित करने के लिए 4 दिसंबर 2025 को सात संशोधन निदेश जारी किए, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक (सामान्य बचत बैंक जमा खाता) निदेश, 2025 के मसौदे पर प्राप्त लोक प्रतिक्रिया की समीक्षा के बाद जारी किया गया। ये संशोधन, जो बैंकों पर लागू होते हैं का उद्देश्य, ग्राहकों की बदलती डिजिटल बैंकिंग आवश्यकताओं के साथ बीएसबीडी खातों को संरेखित करना, उपयोग बढ़ाना, ग्राहक सेवा में सुधार करना और सस्ती और न्यूनतम बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करके वित्तीय समावेशन को और मजबूत बनाना है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऋण संबंधी जानकारी की रिपोर्टिंग निदेश, 2025 को संशोधित करने के लिए संशोधन निदेश जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 दिसंबर 2025 को ऋण **संबंधी जानकारी की** रिपोर्टिंग ढांचे को मजबूत बनाने के लिए दस संशोधन निदेश जारी किए, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण **संबंधी जानकारी की** रिपोर्टिंग) (पहला संशोधन) निदेश, 2025 के मसौदे पर प्राप्त लोक प्रतिक्रियाओं को शामिल करने के बाद जारी किए गए हैं। इन संशोधनों में सीआई द्वारा सीआईसी को साप्ताहिक आधार पर ऋण संबंधी जानकारी का अनुक्रमिक प्रस्तुतीकरण करने के साथ-साथ तेजी से डेटा प्रस्तुत करने और त्रुटि सुधार को सुविधाजनक बनाने के उपायों को अनिवार्य किया गया है। इन संशोधन निदेशों का उद्देश्य सीआई द्वारा सीआईसी को ऋण संबंधी जानकारी की निरंतर, सटीक और समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना है, जिससे ऋण हामीदारी और निगरानी में प्रयोग किए जाने वाले सीआईआर की गुणवत्ता और आवृत्ति में सुधार हो सके। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंकों के लिए कारोबार प्राधिकार संबंधी निदेश जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 दिसंबर 2025 को सहकारी बैंकों के लिए कारोबार प्राधिकार संबंधी निर्देशों को समन्वित करने के लिए निरसन और संशोधन निदेश का एक सेट जारी किया जो सहकारी बैंकों के लिए कारोबार प्राधिकार पर मास्टर निदेश (निदेशों), 2025 के मसौदे पर हितधारकों की प्रतिक्रिया को शामिल करने के परिणामस्वरूप है। इस संशोधन में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसके माध्यम से सहकारी बैंकों को मजबूत सुरक्षा व्यवस्था को कार्यान्वित करते हुए परिचालन स्वायत्तता को और बढ़ाकर सशक्त बनाया जा सके। प्राधिकार संबंधी मानदंडों में सुविचारित रियायत ने सहकारी बैंकों के लिए ऋण आउटरीच का विस्तार करके, प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों का उपयोग करते हुए और स्थानीय विकास प्राथमिकताओं को समर्थन देते हुए भारत के आर्थिक विकास में सक्रिय रूप से योगदान करने का मार्ग तैयार किया है। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

IV. गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात की

गवर्नर, श्री संजय मल्होत्रा ने विनियमित संस्थाओं के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ रिज़र्व बैंक के निरंतर संवाद के क्रम में 9 दिसंबर 2025 को मुंबई में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात की। उप गवर्नरों और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हुई इस बैठक में बैंकिंग क्षेत्र की उन्नतिशील स्थिति और परिचालन की समीक्षा की गई, साथ ही एक गतिशील वातावरण में निरंतर सतर्कता की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया गया। गवर्नर ने कहा कि संचयी 125 आधार अंकों की छूट और प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग से मध्यस्थता लागत में कमी, दक्षता में वृद्धि और सतत विकास एवं वित्तीय समावेशन को बल मिलना चाहिए। उन्होंने बेहतर ग्राहक सेवा, शिकायतों में कमी, दृढ़तर आंतरिक प्रणालियों और डिजिटल धोखाधड़ी के विरुद्ध एक सुदृढ़, गोपनीयता-प्रेरित सुरक्षा उपायों के महत्व पर जोर दिया, साथ ही बैंकों के पुनः केवाईसी और अदावी जमा पर किए गए प्रयासों और सक्रिय पहुंच को प्रोत्साहित करने की सराहना की। उन्होंने रिज़र्व बैंक के परामर्शपूर्ण दृष्टिकोण की भी पुष्टि की, जिसमें विनियमों के समेकन और सरलीकरण पर हाल की पहल शामिल है, और प्रतिभागियों ने विभिन्न नीति, पर्यवेक्षी और परिचालनगत मामलों पर अपने दृष्टिकोण साझा किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्वर्ण धातु ऋण (जीएमएल) योजना में संशोधन जारी किए

रिज़र्व बैंक ने 4 दिसंबर 2025 को भारतीय रिज़र्व बैंक (स्वर्ण धातु ऋण) निदेश, 2025 के मसौदे पर प्राप्त हितधारक की प्रतिक्रिया की जांच करने और उसे शामिल करने के बाद स्वर्ण धातु ऋण को नियंत्रित करने वाले विनियामकीय ढांचे को अद्यतन करने के लिए संशोधन निदेश जारी किए। मसौदा निदेशों का उद्देश्य मुख्य रूप से (i) स्वर्ण धातु ऋण (जीएमएल) से संबंधित विनियमों को समेकित करना (ii) विवेकपूर्ण पहलुओं में कुछ विनियामकीय अंतरालों को कम करना; (iii) जीएमएल योजना के दायरे का विस्तार करना; और (iv) जीएमएल पर अपनी नीति तैयार करने में बैंकों को अधिक परिचालन स्वतंत्रता प्रदान करना था। उपर्युक्त मसौदा निदेश पर प्राप्त प्रतिक्रिया की जांच की गई है और इसे अंतिम रूप देते समय उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। संशोधन निदेशों का उद्देश्य, व्यापार में सहूलियत लाने के लिए, घरेलू और निर्यातक जौहरियों के लिए समान रूप से सुव्यवस्थित और सामंजस्यपूर्ण विनियमों का एक वर्ग सुनिश्चित करना और स्वर्ण धातु ऋण पर एक पर्यवेक्षी एमआईएस विकसित करना है। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बाजार तंत्र ढांचे के निरसन हेतु संशोधन निदेश जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, मसौदा निरसन परिपत्र पर हितधारकों की प्रतिक्रिया की समीक्षा के बाद, 4 दिसंबर 2025 को 'बाजार तंत्र के माध्यम से बड़े उधारकर्ताओं के लिए ऋण आपूर्ति बढ़ाने' पर दिशानिर्देश के निरसन के लिए संशोधन निदेश जारी किए। इन संशोधन निदेशों का उद्देश्य मजबूत विनियामकीय ढांचे और पर्यवेक्षी निगरानी के परिप्रेक्ष्य में विवेकपूर्ण आवश्यकताओं को पुनर्संरेखित करना और बैंक तुलनपत्र में बढ़ोत्तरी करना है। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वृहत् एक्सपोज़र ढांचा (एलईएफ) तथा अंतःसमूह लेनदेन और एक्सपोज़र में संशोधन जारी किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, 4 दिसंबर 2025 को भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन) संशोधन निदेश, 2025 जारी किए, जिसमें दो संशोधन परिपत्र के मसौदों अर्थात (i) वृहत् एक्सपोज़र ढांचा (संशोधन परिपत्र), 2025; तथा (ii) अंतःसमूह लेनदेन और एक्सपोज़र प्रबंधन पर दिशानिर्देश (संशोधन परिपत्र), 2025 पर हितधारकों की प्रतिक्रिया को शामिल किया गया है। उक्त संशोधन निदेशों का उद्देश्य मुख्य रूप से भारत में विदेशी बैंक शाखाओं को उनके प्रधान कार्यालय और अन्य समूह संस्थाओं के एक्सपोजर प्रबंध से संबंधित कुछ मौजूदा प्रावधानों को तर्कसंगत बनाना था। इन संशोधन निदेशों का उद्देश्य भारत मे कार्यरत विदेशी बैंक शाखाओं के उनकी समूह संस्थाओं के एक्सपोज़र के विवेकपूर्ण प्रबंध तथा वृहत् एक्सपोज़र ढांचा और अंतःसमूह लेनदेन और एक्सपोज़र की गणना से संबंधित कतिपय पद्धतिगत पहलुओं के बारे में स्पष्टता प्रदान करना है। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

आरबीआई ने भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय सेवाएं उपक्रम) निदेश, 2025 के लिए संशोधन निदेश जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 दिसंबर 2025 को 'व्यवसाय के प्रकार और निवेश के लिए विवेकपूर्ण विनियमन' पर मसौदा परिपत्र पर हितधारकों की प्रतिक्रिया को शामिल करने के बाद, विनियमित संस्थाओं द्वारा वित्तीय सेवाओं के उपक्रम को नियंत्रित करने वाले विनियामकीय ढांचे को अद्यतन करने के लिए पांच संशोधन निदेश जारी किए। इन निदेशों का उद्देश्य अन्य जोखिम वहन करने वाले गैर-मुख्य व्यवसायों से बैंक के मुख्य व्यवसाय की रिंगफेंसिंग पर विनियमों की समीक्षा करना और एक समान अवसर प्रदान करना था। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को लघु वित्त बैंक में रूपांतरण के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी दी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 दिसंबर 2025 को फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (एफपीबीएल) को लघु वित्त बैंक में **रूपांतरण के लिए** 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया। आरबीआई ने निजी क्षेत्र में एसएफबी के 'ऑन टैप' लाइसेंस के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। दिशानिर्देशों के अनुसार, मौजूदा भुगतान बैंक, जिनका नियंत्रण निवासियों के अधीन हैं और जिन्होंने अपने परिचालन के पांच वर्ष पूरे कर लिए हैं, वे लघु वित्त बैंकों में रूपांतरण के लिए पात्र हैं। एफपीबीएल के आवेदन का मूल्यांकन, दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया था। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

V. वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफआई): 2025-30

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 दिसंबर 2025 को वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उप-समिति द्वारा अनुमोदित **वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति** (एनएसएफआई): 2025-30

को औपचारिक रूप से जारी किया, जो अंतिम छोर तक पहुंच और वित्तीय सेवाओं के प्रभावी उपयोग को बढ़ाने के लिए एक सहक्रियात्मक पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण पर जोर देती है। उक्त कार्यनीति में पांच कार्यनीतिक उद्देश्य (पंच-ज्योति) और 47 कार्रवाई बिंदु निर्धारित किए गए हैं, जिनमें, एनएसएफआई 2019-2024 की उपलब्धियों को समेकित करते हुए और व्यापक हितधारक परामर्श के माध्यम से वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के प्रयास के साथ, न्यायसंगत और किफायती वित्तीय सेवाएं, लैंगिक-संवेदनशील और विभेदित समावेशन कार्यनीतियां, आजीविका और वित्त के साथ कौशल का जुड़ाव, शिक्षा के माध्यम से वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देना और ग्राहक सुरक्षा और शिकायत निवारण को मजबूत करना शामिल है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

VI. प्रकाशन

आरबीआई बुलेटिन – दिसंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 दिसंबर 2025 को अपने मासिक बुलेटिन का दिसंबर 2025 अंक जारी किया। बुलेटिन में द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य (दिसंबर 2025), चार भाषण, चार आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं।

चार भाषण हैं:

I. स्टेबलकॉइन - क्या वे वित्तीय प्रणाली में एक भूमिका निभाते हैं - श्री टी रवि शंकर

II. पिच को पढ़ना: लंबे इनिंग्स के लिए बैंकिंग कार्यनीतियाँ - श्री स्वामिनाथन जे

III. माइक्रो मैटर्स, मैक्रो मोमेंटम: विकसित भारत के लिए माइक्रोफाइनेंस - श्री स्वामिनाथन जे

IV. समय पर और प्रासंगिक सांख्यिकी एजिल नीति निर्माण के लिए - डॉ. पूनम गुप्ता

चार आलेख हैं:

I. अर्थव्यवस्था की स्थिति;

II. सरकारी वित्त 2025-26: एक अर्ध-वार्षिक समीक्षा;

III. जीवीए के लिए समग्र अग्रणी संकेतक – भारत के लिए विनिर्माण;

IV. न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करते हुए भू-राजनीतिक जोखिमों के बीच सुरक्षित आस्ति अस्थिरता को समझना

अधिक जानकारी के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओम्बड्समैन योजना, 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 दिसंबर 2025 को, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के लिए ओम्बड्समैन योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। वार्षिक रिपोर्ट में आरबी-आईओएस, 2021 के तहत संपन्न गतिविधियों के साथ-साथ उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण के क्षेत्र में वर्ष के दौरान हुई मुख्य गतिविधियाँ और आगामी कार्यदिशा को शामिल किया गया है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने “भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकी का हैंडबुक, 2024-25” जारी की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 11 दिसंबर 2025 को अपने सांख्यिकीय प्रकाशन के दसवें संस्करण "भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकी का हैंडबुक, 2024-25" जारी की। इस प्रकाशन के माध्यम से, भारतीय रिज़र्व बैंक भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक आंकड़ों का प्रसार करता है। यह प्रकाशन भारत के विभिन्न राज्यों में दीर्घकालिक-शृंखला के आधार पर सामाजिक-जनसांख्यिकी, स्वास्थ्य, राज्य घरेलू उत्पाद, कृषि, पर्यावरण, मूल्य, मजदूरी, उद्योग, बुनियादी ढांचा, बैंकिंग, राजकोषीय एवं निर्यात सहित अन्य क्षेत्रों के उप-राष्ट्रीय सांख्यिकीय आंकड़े प्रदान करता है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2024-25

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (2) के अनुपालन में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 दिसंबर 2025 को *भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2024-25* जारी की। रिपोर्ट में बैंकिंग क्षेत्र की लगातार आघात- सहनीयता, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा जमा और ऋण में दो अंकों की संवृद्धि दर्ज करना, मार्च 2025 के अंत तक जोखिम-भारित आस्ति के अनुपात में पूंजी 17.4 प्रतिशत और सितंबर 2025 के अंत तक 17.2 प्रतिशत , और परिसंपत्ति गुणवत्ता में आगे की मजबूती के रूप में जीएनपीए अनुपात में क्रमशः 2.2 प्रतिशत और 2.1 प्रतिशत तक गिरावट आई, जो कई दशकों का सबसे निम्न स्तर था को रेखांकित किया गया ; 2024–25 में आरओए और आरओई का क्रमशः 1.4 प्रतिशत और 13.5 प्रतिशत तथा 2025–26 की पहली छमाही में 1.3 प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत रहने के साथ लाभप्रदता मजबूत बनी रही , जबकि शहरी सहकारी बैंकों ने अधिक तुलन- पत्र वृद्धि, बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता, मजबूत पूंजी बफर और लाभप्रदत्ता दर्ज की और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने मजबूत पूंजी बफर और बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता के साथ दो अंकों की ऋण वृद्धि जारी रखी। अधिक पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने “भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकी का हैंडबुक, 2024-25” जारी की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 11 दिसंबर 2025 को अपने सांख्यिकीय प्रकाशन के दसवें संस्करण "भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकी का हैंडबुक, 2024-25" को जारी किया। इस प्रकाशन के माध्यम से, भारतीय रिज़र्व बैंक भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक आंकड़ों का प्रसार करता है।

प्रकाशन में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) के संबंध में उनकी परिपक्वता प्रोफ़ाइल सहित देयताओं और आस्तियों के प्रमुख मदों पर इकाई-वार जानकारी; आय और व्यय; चुनिंदा वित्तीय अनुपातों, कर्मचारियों की संख्या और प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का विवरण प्रदान किया गया है। इसके अलावा, जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर), अनर्जक आस्तियां (एनपीए), संवेदनशील क्षेत्रों का एक्सपोजर, आकस्मिक देयताएं और अदावी जमाराशियाँ शामिल हैं। यह ग्रामीण सहकारी बैंकों का समेकित तुलन पत्र का राज्य-वार वितरण भी प्रस्तुत करता है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

VII. जारी आंकड़े और सर्वेक्षण

दिसंबर 2025 माह के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण आंकड़े और सर्वेक्षण निम्नानुसार हैं :

क्र. सं	शीर्षक
1	भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग पर सर्वेक्षण: 2023–2025 – डेटा रिलीज
2	शहरी उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण
3	मुद्रास्फीति पर घरेलू अपेक्षाओं का सर्वेक्षण
4	ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण
5	व्यष्टि आर्थिक संकेतकों पर पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण – 97वें दौर के परिणाम
6	दिनांक 15 दिसंबर 2025 तक भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण
7	नवंबर 2025 के लिए समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश

श्री ब्रिज राज द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।